राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्र. 6819 / परीक्षा / रा.शं.शा.वि.छि. / 2022 छिंदवाड़ा दिनांक 03 / 02 / 2022

/ / अधिसूचना / /

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 666 / स्था. / छिंदवाड़ा दिनांक 08 / 01 / 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् परीक्षा केन्द्रों के लिये सामान्य निर्देश व परीक्षा संबंधी कार्यों में लगे समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के भुगतान संबंधी विवरण निम्नानुसार होगा :-

सामान्य निर्देश :-

1. कोरोना महामारी के लिये मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा जारी गाइड लाइन तथा निर्देशों का कडाई से पालन किया जाये।
2. यदि कोई परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित होता है और उसकी सूचना परीक्षा केन्द्र प्रभारी को प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय को उसकी सूचना प्रेषित करें।
3. सामान्य सर्दी, जुखाम, खाँसी, बुखार आदि होने पर ऐसे परीक्षार्थियों की पृथक से बैठक व्यवस्था की जावेगी।
4. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा के प्रत्येक सत्र के लिये एक केन्द्राध्यक्ष तथा केन्द्राध्यक्ष की सहायता के लिये एक सहायक केन्दाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। 300 से अधिक परीक्षार्थी होने पर एक अतिरिक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है।
5. प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों के लिये एक वीक्षक की व्यवस्था की जावेगी, तथा उसके ऊपर 20 के प्रत्येक अंश पर एक वीक्षक प्रदाय होगा। किसी भी कक्ष में कम–से–कम दो वीक्षक रहेंगे। परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र, अनुपस्थिति, उपस्थिति, यू.एफ.एम. आदि की जानकारी की जिम्मेवारी केन्द्राध्यक्ष की रहेगी।
6. बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखी जावेगी कि परीक्षार्थियों के बीच पर्याप्त खाली स्थान रहे।
7. परीक्षार्थी द्वारा मांगे जाने पर ग्राफ पेपर व लॉग टेबल केन्द्राध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
8. परीक्षार्थी केवल सामान्य कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकेगा, जिनमें मेमोरी नहीं हो। Scientific/Programmable कैलकुलेटर प्रतिबंधित होंगे तथा कैलकुलेटर का आदान–प्रदान भी प्रतिबंधित रहेगा।

9. परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम एक घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति परीक्षार्थी को नहीं होगी इसी प्रकार परीक्षा अवधि के अंतिम आधे घंटे में भी परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
10. परीक्षा प्रांरभ होने के एक घंटे पश्चात् उत्तर पुस्तिका जमा करके परीक्षार्थी अंतिम रूप से परीक्षा कक्ष छोड़ सकेगा।
11. जिला स्तर/विश्वविद्यालय स्तर पर गठित उड़न दस्ता के औचक निरीक्षण में मांगी गई जांनकारी उपलब्ध कराने का दायित्व केन्द्राध्यक्ष का होगा।

व्यय संबंधी विवरण

1. अग्रेषण शुल्क की राशि रूपये 25/– का विभिन्न ऐसे महाविद्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य निम्न प्रकार से वितरण होगा जहां से विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित तो हो रहे हैं, लेकिन इन महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है, एवं इसका व्यय निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	राशि (रू.)	रिमार्क
01	अग्रेषण अधिकारी/प्राचार्य	5.00	—
02	तृतीय वर्ग कर्मचारी	12.00	रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर रजिस्ट्रार को 3.00 रू. एवं शेष राशि केवल अग्रेषण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारियों को भुगतान किया जाये, एवं रजिस्ट्रार की नियुक्ति न होने पर संपूर्ण राशि केवल अग्रेषण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारियों को भुगतान किया जाये।
03	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	8.00	केवल अग्रेषण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जायेगा।
कुल रूपये		**25.00**	

2. अग्रेषण शुल्क की राशि रूपये 50/– का विभिन्न ऐसे महाविद्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य निम्न प्रकार स वितरण होगा जिन्हें परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, एवं इसका व्यय निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	राशि (रू.)	रिमार्क
01	अग्रेषण अधिकारी / प्राचार्य	5.00	—
02	तृतीय वर्ग कर्मचारी	12.00	रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर रजिस्ट्रार को 3.00 रू. एवं शेष राशि केवल अग्रेषण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारियों को भुगतान किया जाये, एवं रजिस्ट्रार की नियुक्ति न होने पर संपूर्ण राशि केवल अग्रेषण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारियों को भुगतान किया जाये।
03	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	8.00	केवल अग्रेषण कार्य में सहायता करने वाले कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जायेगा।
04	कंटेजेंसी / पोस्टेज	25.00	परीक्षा से संबंधित समस्त प्रकार के व्ययों जैसे गिलास, मटके, साफ–सफाई, डाक व्यय, स्टेशनरी, कपड़ा, कमरों में प्रकाश एवं पंखों की सुविधा पर होने वाले व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।
कुल रूपये		**50.00**	

3. केवल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के महाविद्यालयों से प्राप्त रूपये 25/– का परीक्षा केन्द्र शुल्क वाले महाविद्यालय इसका उपयोग केवल निम्न कार्य के लिये करेंगे :–

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	राशि (रू.)	रिमार्क
01	कंटेजेंसी / पोस्टेज	25.00	परीक्षा से संबंधित समस्त प्रकार के व्ययों जैसे गिलास, मटके, साफ–सफाई, डाक व्यय, स्टेशनरी, कपड़ा, कमरों में प्रकाश एवं पंखों की सुविधा पर होने वाले व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।
कुल रूपये		**25.00**	

4. परीक्षा केन्द्र वाले महाविद्यालयों को प्राप्त परीक्षा केन्द्र शुल्क रूपये 200/– (गैर–प्रायोगिक) तथा रूपये 300/– (प्रायोगिक) एवं केवल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के महाविद्यालय से परीक्षा केन्द्र वाले महाविद्यालयों को प्राप्त रूपये 225/– तथा रूपये 325/– का निम्न मदों में भुगतान किया जायेगा :–

क्र.	कार्य का नाम	मानदेय/पारिश्रमिक की राशि (रू.)
01	प्रायोगिक परीक्षा (आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक) **स्नातकोत्तर स्तर पर**	15/– प्रति छात्र (न्यूनतम 500/–)
02	प्रायोगिक परीक्षा (आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक) **स्नातक स्तर पर**	10/– प्रति छात्र (न्यूनतम 500/–)
03	प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप का मूल्यांकन (बाह्य परीक्षक) **स्नातकोत्तर स्तर पर**	15/– प्रति छात्र (न्यूनतम 500/–)
04	प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप का मूल्यांकन (बाह्य परीक्षक) **स्नातक स्तर पर**	10/– प्रति छात्र (न्यूनतम 500/–)
05	स्थानीय प्रायोगिक परीक्षा का वाहन भत्ता	200/– प्रति दिन
06	प्रयोगशाला स्टाफ के लिये प्रायोगिक परीक्षा हेतु पारिश्रमिक (तृतीय श्रेणी)	200/– प्रति दिन
07	प्रयोगशाला स्टाफ के लिये प्रायोगिक परीक्षा हेतु पारिश्रमिक (चतुर्थ श्रेणी)	150/– प्रति दिन
08	वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष (अधिकतम 500/–)	300/– प्रति शिफ्ट
09	केन्द्राध्यक्ष	200/– प्रति शिफ्ट
10	सहायक केन्द्राध्यक्ष 300 विद्यार्थियों से अधिक होने पर एवं इसके पश्चात् प्रति 500 विद्यार्थी पर अतिरिक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा अधिकतम 03 सहायक केन्द्राध्यक्ष	150/– प्रति शिफ्ट
11	वीक्षक	125/– प्रति शिफ्ट
12	(प्रत्येक 03 कमरों के मध्य 01) कॉरीडोर वीक्षक	125/– प्रति शिफ्ट
13	परीक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत तृतीय वर्ग कर्मचारी	100/– प्रति शिफ्ट
14	परीक्षा प्रकोष्ठ में कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	75/– प्रति शिफ्ट
15	पानी पिलाने वाले प्रति कर्मचारी हेतु	50/– प्रति शिफ्ट
16	जिला स्तरीय उड़न दस्ता संयोजक सदस्य (कम–से–कम 02 परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण 01 दिवस में करना अनिवार्य होगा।) भ्रमण हेतु टैक्सी का शासकीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।	800/– प्रति दिन 500/– प्रति दिन

17	प्रत्येक जिले में मूल्यांकन कार्य के लिये उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण व संग्रहण केन्द्र बनाया जायेगा। जिसकी व्यवस्था हेतु नोडल संस्था एक टीम का निर्माण कर सकेगी, जिसमें एक प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	 200 / – प्रति दिन (अधिकतम 10 दिन) 125 / – प्रति दिन (अधिकतम 10 दिन) 100 / – प्रति दिन (अधिकतम 10 दिन) के अनुसार देय होगा।

नोट :–

i. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, समस्त महाविद्यालय रूपये 50 / – एवं रूपये 25 / – के अग्रेषण शुल्क के आधार पर प्राप्त कुल राशि का भुगतान करेंगें एवं प्राप्त कुल राशि एवं किये गये कुल व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे, लेखा संधारण का समस्त दायित्व महाविद्यालयों का होगा।

ii. समस्त ऐसे महाविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया गया है वे प्रति विद्यार्थी रूपये 200 / – एवं रूपये 225 / – या रूपये 325 / – के परीक्षा केन्द्र शुल्क के आधार पर प्राप्त कुल राशि का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार भुगतान करेंगे एवं प्राप्त कुल राशि एवं किये गये कुल व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे, लेखा संधारण का समस्त दायित्व महाविद्यालयों का होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

iii. प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाने वाले बाह्य परीक्षक को शासकीय नियमानुसार टी.ए एवं डी.ए. का भुगतान किया जायेगा।

3.2.22

कुलसचिव
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,
छिंदवाड़ा

पृ.क्र.6820 परीक्षा / रा.शं.शा.वि.छि. / 2022 छिंदवाड़ा दिनांक 03 / 02 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति महोदय के निज सहायक, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
2. परीक्षा शाखा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. लेखा शाखा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
5. स्थापना शाखा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

3.2.22

कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,

छिंदवाड़ा